



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 49 राँची, बुधवार, 11 माघ, 1945 (श०)
31 जनवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

30 मई, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ WBPDC(क्षतिपूरक वनरोपण)-72/2022-1784(5)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-11.05.2022 में मद संख्या-19 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-पाकुड़िया के मौजा-मधुपुर, बनियापसार एवं विशनपुर के विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा- 49.32 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म- पुरातन पतित, पहाड़ एवं पतित पाथर भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नकI), राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(i) एवं चिन्हित मौजा अविक्रयशील होने के कारण सलामी की राशि प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना

प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-159/रा०, दिनांक-07.07.2021 के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य निर्धारित दर पर संगणित सलामी की राशि **3,85,73,172/-** (तीन करोड़ पच्चासी लाख तिहतर हजार एक सौ बहतर) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि **4,82,16,465/-** (चार करोड़ बेरासी लाख सोलह हजार चार सौ पैंसठ) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **6,99,13,874/-** (छः करोड़ निन्यानवे लाख तेरह हजार आठ सौ चौहतर) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **15,67,03,511/-** (पंद्रह करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार पाँच सौ ग्यारह) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नकII) की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDC), पचुवाड़ा नॉर्थ कॉल ब्लॉक के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

- I. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- II. उपायुक्त, पाकुड़ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।
- III. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, पाकुड़ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- IV. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- V. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

- VI.** अपण् अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.2014** एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ WBPDC(क्षतिपूरक वनरोपण)-72/2022-1784(5)/रा०,

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	09/2021-22	पाकुड़िया	मधुपुर	146	41	45	8.04	पुरातन पतित एवं पहाड़।
						47	+ 11.40 <u>19.44</u>	
2	10/2021-22	पाकुड़िया	बनियापसार	33	45	457	7.66	पुरातन पतित।
3	11/2021-22	पाकुड़िया	विशनपुर	1/155	49	668	11.82	पतित पाथर एवं पुरातन पतित।
						826	+ <u>10.40</u> 22.22	
कुल-							49.32	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ WBPDC(क्षतिपूरक वनरोपण)-72/2022-1784(5)/रा०,

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान(सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	09/2021-22	मधुपुर	19.44	782100	15204024	760201.2	19005030	27557293.5	61766347.5
2	10/2021-22	बनियापसार	7.66	782100	5990886	299544.3	7488607.5	10858480.88	24337974.38
3	11/2021-22	विशनपुर	22.22	782100	17378262	868913.1	21722827.5	31498099.88	70599189.38
कुल-			49.32		38573172	1928658.6 या 1928659	48216465	69913874.26 या 69913874	156703511.26 या 156703511

अर्थात् 15,67,03,511@& (पंद्रह करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार पाँच सौ ग्यारह) रूपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 49 - 50